मध्यप्रदेश विधान सभा

क्रमांक-4

संक्षिप्त कार्य विवरण

पत्रक भाग-एक

सोमवार, दिनांक 12 जनवरी, 2009 (पौष 22, 1930)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.33 बजे समवेत हुई.

सभापति महोदय (डॉ. नरोत्तम मिश्रा) पीठासीन हुए.

1. निधन का उल्लेख

सभापति महोदय द्वारा भारत के भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह, भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्री श्री वेदप्रकाश गोयल, भूतपूर्व केन्द्रीय राज्यमंत्री श्री अजीत कुमार पांजा, राज्य सभा सदस्य श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा, भूतपूर्व संसद सदस्य ठाकुर महेन्द्र कुमार सिंह, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा सर्वश्री सुनील नायक, मदनलाल भंडारी, जगन्नाथ यादव, रवि आर्य, यश्वंतराव खोंगल, महेश प्रसाद शुक्ला, महेश दत्त मिश्र, गनपत सिंह उइके, भुवनलाल पारधी, मोतीलाल दवे, जगदीश पटेल, जगदीश गुप्ता तथा पूरन सिंह पलैया तथा मुंबई शहर पर हुए आतंकवादी हमलों में मृत व्यक्तियों के निधन पर शोकोद्‌गार व्यक्त किये गये।

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, नेता प्रतिपक्ष श्रीमती जमुना देवी तथा श्री रामलखन सिंह, सदस्य ने भी शोकोद्‌गार व्यक्त किये।

सदन द्वारा दो मिनिट मौन खड़े रहकर दिवंगतों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित कर शोक संतप्तजन के लिये संवेदना प्रकट की गई।

दिवंगतों के सम्मान में सदन की कार्यवाही पूर्वाह्न 11.08 बजे से 11.25 बजे तक स्थगित रही)

सभापति महोदय (श्री केदारनाथ शुक्ला) पीठासीन हुए.

2. औचित्य के प्रश्न पर व्यवस्था

श्रीमती जमुना देवी, नेता प्रतिपक्ष तथा चौधरी राकेश सिंह, सदस्य द्वारा सिंगरौली जिले की घटना के संबंध में दी गई स्थगन प्रस्ताव सूचना पर चर्चा की मांग की गई। चौधरी राकेश सिंह, सदस्य द्वारा स्थगन प्रस्ताव की ग्राह्यता के संबंध में मध्यप्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के अध्याय-5 नियम 16 (1) (ग), अध्यक्ष के स्थायी आदेश के अध्याय - चार, बिन्दु 22 (1) तथा संसदीय प्रक्रिया एवं व्यवहार, कौल एवं शकधर के पृष्ठ 501, बिन्दु 23 के उद्धरण प्रस्तुत किये गए। साथ ही मध्यप्रदेश विधान सभा तथा लोक सभा की कार्यवाहियों के तत्संबंधी पूर्वोदाहरण भी प्रस्तुत किए गये।

श्री बाबूलाल गौर, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री तथा डॉ. नरोत्तम मिश्रा, सदस्य द्वारा मत व्यक्त किया गया कि यह सत्र मुख्यत: अध्यक्ष तथा निर्वाचन, सभापति तालिका, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण तथा शासकीय कार्यों के संपादन हेतु आहूत किया गया है। अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा के माध्यम से माननीय सदस्य उक्त घटना पर विचार व्यक्त कर सकते है।

सभापति महोदय ने व्यवस्था दी कि इस सत्र के लिए जो कार्य निर्धारित हैं उनमें स्थगन प्रस्ताव व ध्यानाकर्षण आदि लेना प्रस्तावित नहीं है। सदन के समक्ष इस तरह का कोई विषय भी लंबित नहीं है। महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान माननीय सदस्य घटना संबंधी उल्लेख कर सकते है। अत: औचित्य का प्रश्न अग्राह्य किया जाता है।

(सिंगरौली की घटना पर स्थगन प्रस्ताव स्वीकार न करने के विरोधस्वरूप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यगण गर्भगृह में आए, नारेबाजी की तथा कुछ समय पश्चात् बहिर्गमन किया)

3. अध्यादेशों का पटल पर रखा जाना

श्री कैलाश विजयवर्गीय, संसदीय कार्य मंत्री ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 की अपेक्षानुसार निम्नलिखित अध्यादेश पटल पर रखे :-

(1) ग्वालियर कृषि विश्वविद्यालय अध्यादेश, 2008 (क्रमांक 4 सन् 2008),

(2) राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय अध्यादेश, 2008 (क्रमांक 5 सन् 2008) ; तथा,

(3) मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम (संशोधन) अध्यादेश, 2008 (क्रमांक 6 सन् 2008)।

4. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने -

(क) भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 2007-2008 वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे, तथा,

(ख) राज्य वित्त निगम अधिनियम, 1951 (क्रमांक 63 सन् 1951) की धारा 37 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश वित्त निगम का 53 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2007-2008 पटल पर रखे।

(2) श्री अनूप मिश्रा, ऊर्जा मंत्री ने विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 182 की अपेक्षानुसार ऊर्जा विभाग की अधिसूचना क्रमांक 5719-4948-2005-तेरह, दिनांक 21 अगस्त, 2008 पटल पर रखी।

(3) श्री तुकोजीराव पवार, पर्यटन मंत्री ने कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम मर्यादित का 27 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2004-2005 पटल पर रखा।

(4) श्री कैलाश विजयवर्गीय, संसदीय कार्य मंत्री ने राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (क्रमांक 39 सन् 1987) की धारा 29 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार विधि और विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना फा.क्रमांक 6-2-2008-इक्कीस-ब (दो), दिनांक 7 मई, 2008 पटल पर रखी।

(5) श्री कन्हैयालाल अग्रवाल, राज्यमंत्री सामान्य प्रशासन ने मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 28 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2005-2006 पटल पर रखा।

5. महामहिम राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना

सभापति महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि विधान सभा के विगत सत्र में पारित निम्नलिखित 16 विधेयकों को महामहिम राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो गई है। अनुमति प्राप्त विधेयकों के नाम दर्शाने वाले विवरण की प्रतियां माननीय सदस्यों को वितरित कर दी गई हैं। इन विधेयकों के नाम कार्यवाही में मुद्रित किए जाएंगे:-

(1) मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2008 (क्रमांक 19 सन् 2008) - (अधिनियम क्रमांक 9 सन् 2008)

(2) मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-4) विधेयक, 2008 (क्रमांक 20 सन् 2008) - (अधिनियम क्रमांक 10 सन् 2008)

(3) मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-5) विधेयक, 2008 (क्रमांक 21 सन् 2008) - (अधिनियम क्रमांक 11 सन् 2008)

(4) मध्यप्रदेश वृत्ति कर (संशोधन) विधेयक, 2008 (क्रमांक 10 सन् 2008) - (अधिनियम क्रमांक 12 सन् 2008)

(5) भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2008 (क्रमांक 11 सन् 2008) - (अधिनियम क्रमांक 13 सन् 2008)

(6) मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) विधेयक, 2008 (क्रमांक 12 सन् 2008) - (अधिनियम क्रमांक 14 सन् 2008)

(7) महर्षि पाणिनी संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक, 2006 (क्रमांक 23 सन् 2006) - (अधिनियम क्रमांक 15 सन् 2008)

(8) मध्यप्रदेश उपचर्यागृह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनाएं (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) संशोधन विधेयक, 2008 (क्रमांक 14 सन् 2008) - (अधिनियम क्रमांक 16 सन् 2008)

(9) मध्यप्रदेश चिकित्सक एवं चिकित्सा सेवा से संबद्ध व्यक्तियों की सुरक्षा विधेयक, 2008 (क्रमांक 15 सन् 2008) - (अधिनियम क्रमांक 17 सन् 2008)

(10) मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) संशोधन विधेयक, 2008 (क्रमांक 17 सन् 2008) - (अधिनियम क्रमांक 18 सन् 2008)

(11) मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) विधेयक, 2008 (क्रमांक 16 सन् 2008) - (अधिनियम क्रमांक 19 सन् 2008)

(12) इन्दौर स्पेशल इकॉनामिक जोन (स्पेशल प्रोविजन्स) संशोधन विधेयक, 2008 (क्रमांक 13 सन् 2008) - (अधिनियम क्रमांक 20 सन् 2008)

(13) मध्यप्रदेश निवेश संवर्धन विधेयक, 2008 (क्रमांक 18 सन् 2008) - (अधिनियम क्रमांक 21 सन् 2008)

(14) मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2008 (क्रमांक 7 सन् 2008) - (अधिनियम क्रमांक 22 सन् 2008)

(15) मध्यप्रदेश अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष वेतन तथा भत्ता विधि संशोधन विधेयक, 2008 (क्रमांक 8 सन् 2008) - (अधिनियम क्रमांक 23 सन् 2008)

(16) मध्यप्रदेश मंत्री (वेतन तथा भत्ता) संशोधन विधेयक, 2008 (क्रमांक 9 सन् 2008) - (अधिनियम क्रमांक 24 सन् 2008)

6. वर्ष 2008-2009 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने वर्ष 2008-2009 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन किया।

7. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, संस्कृति मंत्री ने राजा मान सिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय विधेयक, 2009 (क्रमांक 1 सन् 2009) को सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया।

(2) श्री बाबूलाल गौर, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम (संशोधन) विधेयक, 2009 (क्रमांक 2 सन् 2009) को सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया।

(3) डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री ने राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय विधेयक, 2009 (क्रमांक 4 सन् 2009) को सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया।

8. राज्यपाल के अभिभाषण पर डॉ. नरोत्तम मिश्रा, सदस्य द्वारा दिनांक 7 जनवरी, 2009 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा

"राज्यपाल ने जो अभिभाषण दिया, उसके लिए मध्यप्रदेश की विधान सभा के इस सत्र में समवेत सदस्यगण अत्यन्त कृतज्ञ है।"

(1) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, सदस्य ने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर अपना भाषण दिया।

सभापति महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर उनके पास 47 माननीय सदस्यों के संशोधनों की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। उनमें से जो संशोधन नियमानुसार नहीं थे, उन्हें अग्राह्य कर दिया गया है।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन बहुत बड़े होने के कारण, पूरे संशोधनों को नहीं पढ़कर केवल उनके प्रस्तावकों के नाम और संशोधन क्रमांक पढ़े गये। तद्नुसार सदन में उपस्थित निम्नलिखित माननीय सदस्यों के संशोधन प्रस्तुत हुए माने गये :-

सदस्य का नाम	संशोधन क्रमांक
डॉ. कल्पना परूलेकर	2
डॉ. निशिथ पटेल	5
श्री राव उदय प्रताप सिंह	6
चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी	7
श्री हरवंश सिंह	10
श्री संजय शाह मकड़ाई	11
डॉ. प्रभुराम चौधरी	12
श्री पारस दादा	13

श्री श्रीकांत दुबे	14
श्री रामगरीब कोल	15
श्री मनीराम धाकड़	16
श्री राजकुमार उरमलिया	17
श्री मदन कुशवाह	18
श्री रामलखन सिंह	19
श्री सत्यनारायण पटेल	20
श्री लखन घनघोरिया	22
श्री आरिफ अकील	25
श्री पुरूषोत्तम दांगी	26
श्री पांचीलाल मेड़ा	27
श्री हेमराज कल्पोनी	29
श्री जेवियर मेड़ा	32
श्री वालसिंह मेड़ा	33
श्री ब्रजराज सिंह	35
श्री नारायण प्रजापति	36
श्री यादवेन्द्र सिंह	37
श्री बिसाहूलाल सिंह	39
श्री अरूणोदय चौबे	41
श्री सज्जन सिंह वर्मा	42
श्री सुखदेव पांसे	44
कुंवर विक्रम सिंह नातीराजा	45
श्री प्रताप ग्रेवाल	47

महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर डॉ. नरोत्तम मिश्रा सदस्य द्वारा प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव और संशोधनों पर एक साथ चर्चा प्रारम्भ हुई, जिसमें निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(2) श्री सज्जन सिंह वर्मा

सभापति महोदय (डॉ. नरोत्तम मिश्रा) पीठासीन हुए.

(सभापति महोदय द्वारा राज्यसभा सदस्यगण श्री रघुनंदन शर्मा, श्री नारायण सिंह केसरी तथा भा.ज.पा. प्रदेशाध्यक्ष श्री नरेन्द्र सिंह तोमर की अध्यक्षीय दीर्घा में उपस्थिति पर सदन की ओर से स्वागत किया गया)

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

(अध्यक्ष महोदय द्वारा केन्द्रीय मंत्री श्री कांतिलाल भूरिया की अध्यक्षीय दीर्घा में उपस्थिति पर सदन की ओर से स्वागत किया गया)

(3) श्री केदारनाथ शुक्ला (भाषण अपूर्ण)

(अपरान्ह 1.00 बजे 2.32 बजे तक अन्तराल)

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

श्री केदारनाथ शुक्ला, सदस्य ने अपना भाषण पूर्ण किया।

(4) श्री मदन कुशवाह
(5) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी
(6) श्री पारस दादा
(7) श्रीमती नीता पटैरिया
(8) डॉ. कल्पना परूलेकर
(9) श्री परसराम मुद्‌गल
(10) श्रीमती मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़

सभापति महोदय (श्री केदारनाथ शुक्ला) पीठासीन हुए.

(11) श्री रामलखन सिंह
(12) श्रीमती नीना वर्मा
(13) श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति
(14) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया
(15) डॉ. गोविन्द सिंह

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

(कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर माननीय सदस्यों के भाषण पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की गई)

(16) श्री बृजमोहन धूत
(17) श्री श्रीकांत दुबे
(18) श्री सुखदेव पांसे
(19) श्री ओमप्रकाश सखलेचा
(20) श्री अरूणोदय चौबे
(21) श्री विश्वास सारंग
(22) श्री बिसाहूलाल सिंह
(23) श्री शंकरलाल तिवारी
(24) श्रीमती साधना स्थापक
(25) डॉ. प्रभुराम चौधरी
(26) श्री बाला बच्चन

अपराह्न 5.24 बजे विधान सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 13 जनवरी, 2009 (पौष 23, 1930) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

डॉ. ए.के.पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.